हैक्टर में जगदीश व प्रभात पिता बक्शा कौम जाट के स्थान पर जगदीश पिता बक्शा 3/4 प्रभात पिता बक्शा हिस्सा 1/4 कौम जाट सा. देह का सहमति विभाजन दर्ज होना चाहिए था। उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण में उपरोक्तानुसार जगदीश पिता बक्शा का 3/4 हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 30/3/2011 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 30/3/2011 वाके मौजा सेपटपुरा तहसील शाहपुरा को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर ततसमय में राजस्व रिकॉर्ड का विभाजन हुआ था। इसको मध्य नजर रखते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें।

6. यह निर्णय आज दिनांक 01.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)